भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं 164

03.02.2025 को उत्तर के लिए

गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में वायु और जल प्रदूषण

164. श्री रवीन्द्र शुक्ला उर्फ रवि किशन :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में वायु और जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या गोरखपुर के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में अपशिष्ट प्रबंधन और पुनर्चक्रण में सुधार करने के लिए कोई पहल की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त जिले में, विशेषकर रामगढ़ ताल क्षेत्र के आस-पास आर्द्र भूमि और प्राकृतिक पर्यावासों के संरक्षण के लिए क्या प्रयास किए गए हैं; और

(घ) क्या सरकार ने गोरखपुर में पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए कोई कार्यक्रम कार्यान्वित किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (घ) सरकार ने देश भर में वायु प्रदूषण के स्तरों को कम करने के लिए राष्ट्रीय स्तर की कार्यनीति के रूप में वर्ष 2019 में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) शुरू किया है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर सहित मानकों को पूरा न करने वाले/दस लाख से अधिक की आबादी वाले 130 शहरों [लगातार पांच वर्षों के दौरान राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों (एनएएक्यूएस) से अधिक दर्शाने वाले शहरों] को अभिज्ञात किया है। शहर विशिष्ट स्वच्छ वायु कार्य योजनाएं तैयार की गई हैं और इन्हें इन सभी 130 शहरों में कार्यान्वयन के लिए शुरू किया गया है।

ये शहर विशिष्ट स्वच्छ वायु कार्य योजनाएं, अल्प-कालिक प्राथमिकता के साथ-साथ उत्तरदायी एजेंसियों के साथ मध्यम से दीर्घ समय-सीमा में क्रियान्वित की जाने वाली कार्रवाई के साथ मृदा और सड़क की धूल, वाहनों, घरेलू ईंधन, नगरीय ठोस अपशिष्ट (एमएसडब्ल्यू) जलाने, निर्माण सामग्री और उद्योगों जैसे शहर विशिष्ट वायु प्रदूषणकारी स्रोतों पर लक्षित हैं।

स्वच्छ वायु कार्य योजना के कार्यकलापों हेतु अंतराल निधीयन के लिए वित्तीय वर्ष 21-22 से वित्तीय वर्ष 23-24 की अवधि में गोरखपुर नगर निगम को एनसीएपी के तहत 66.87 करोड़ रुपये की कार्य-निष्पादन आधारित निधि जारी की गई है। मानकों को पूरा न करने वाले शहरों में वायु-प्रदूषण के विनियमन हेतु पोर्टल (प्राण) पर उपलब्ध सूचना के अनुसार, वायु प्रदूषण और अपशिष्ट प्रबंधन के नियंत्रण के लिए गोरखपुर नगर निगम द्वारा एनसीएपी निधियों का उपयोग करते हुए निम्नलिखित कार्रवाइयां की गई हैं :

- ब्लैक-टॉपिंग के साथ सड़कों को एंड-टू-एंड पक्का बनाना और गड्ढा मुक्त सड़कों का रखरखाव करना।
- सड़कों की सतह की नियमित सफाई करना और धूल को दबाने के लिए जल छिड़काव करना।
- नगरीय ठोस अपशिष्ट का नियमित रूप से एकत्रण, पृथक्करण और वैज्ञानिक तरीके से निपटान करना।
- यातायात गलियारों, खुले क्षेत्रों, उद्यानों, सामुदायिक स्थलों, स्कूलों और हाउसिंग सोसाइटियों में हरित क्षेत्र बनाना।

सीपीसीबी ने राज्यों में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (एसपीसीबी) और संघ राज्य क्षेत्रों में प्रदूषण नियंत्रण समितियों (पीसीसी) के सहयोग से जल निकायों में प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण को सुकर बनाने के लिए जल संसाधनों की जल गुणवत्ता की स्थिति का नियमित रूप से आकलन करने के लिए राष्ट्रीय जल गुणवत्ता निगरानी नेटवर्क (एनडब्ल्यूएमपी) स्थापित किया है। गोरखपुर जिले में एनडब्ल्यूएमपी के तहत राप्ती नदी पर 02 स्थल, घाघरा नदी पर 01 स्थल, रामगढ़ ताल पर 01 स्थल और भू-जल के 02 स्थल सहित 06 जल गुणवत्ता निगरानी स्थल हैं।

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और गोरखपुर वन विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार, गोरखपुर के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में अपशिष्ट प्रबंधन और पुनर्चक्रण में सुधार करने के लिए की गई पहलें नीचे दी गई हैं :

- उक्त जिले में अपशिष्ट प्रबंधन के लिए जिला पर्यावरण योजना तैयार की गई है।
- उक्त शहर के 80 वार्डों में 100 प्रतिशत डोर-टू-डोर अपशिष्ट एकत्रण किया जाता है। नगर निगम और बहुमंजिला आवासीय कल्याण सोसायटी द्वारा स्थानीय स्थल पर स्रोत पृथक्करण किया जाता है, जिसमें गीले कचरे को खाद बनाने के लिए खाद वाले (कम्पोस्ट) गड्ढे में डाला जाता है और सूखे कचरे को सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधा (एमआरएफ) केंद्र में भेजा जाता है।
- सुथनी में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए प्रसंस्करण संयंत्र का सिविल निर्माण-कार्य पूर्ण कर लिया गया है। उक्त कार्य में एनटीपीसी ने कचरे से चारकोल बनाने का प्रस्ताव किया है और उक्त कार्य के लिए संविदा प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है। एनटीपीसी द्वारा कचरे से चारकोल बनाने की निविदा प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है और उक्त फर्म ने कार्य करना शुरू कर दिया है और एनटीपीसी द्वारा 25% कार्य पूर्ण कर लिया गया है।
- महेसारा में 50 टीपीडी निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र का निर्माण पूर्ण कर लिया गया है और उक्त संयंत्र ने प्रचालन शुरू कर दिया है।

गोरखपुर जिले में आर्द्रभूमि और प्राकृतिक पर्यावासों को परिरक्षित करने के लिए किए गए प्रयासों में, अन्य बातों के साथ-साथ, गोरखपुर में एसटीपी की संस्थापना करना; जिले की चयनित आर्द्रभूमियों के संरक्षण के लिए पायलट परियोजना की शुरुआत करना; अवैध निर्माण/विकास कार्यों को अभिज्ञात और सील करना; और आर्द्रभूमियों के संरक्षण के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम आर्द्रभूमि समिति का गठन करना, आदि शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त, पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए गोरखपुर में निम्नलिखित कार्यक्रम क्रियान्वित किए गए हैं :-

- स्वच्छ भारत मिशन के तहत सूचना, शिक्षा एवं संचार (आईईसी) संबंधी कार्यकलाप संचालित करने के लिए परियोजना निगरानी एकक (पीएमयू) का गठन किया गया है।
- स्वच्छता पखवाड़ा के तहत पर्यावरण संरक्षण और वृक्षारोपण के लिए शिक्षण संस्थानों में विभिन्न कार्यकलाप संचालित किए जाते हैं।
- गोरखपुर महोत्सव के तहत 'पारि-पर्यटन, वन, वन्यजीव और पर्यावरण' पर तीन-दिवसीय फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया था जिसमें विभिन्न स्कूलों के छात्रों ने भाग लिया।
- दिनांक 23.09.2024 को आयोजित किए गए 'स्वच्छता ही सेवा' कार्यक्रम के तहत ग्राम मीरपुर, जंगल नाथ कौड़िया में अवस्थित रोहिन नदी घाट पर वहां की आम जनता ने स्वच्छता के लिए श्रमदान और स्वच्छता की प्रतिज्ञा ली। जीसीएमडी इंटर कॉलेज, ग्राम चांदबाड़ी, जिला-गोरखपुर में दिनांक 24.09.2024 को स्वच्छता रैली, स्वच्छता प्रतिज्ञा कार्यक्रम और चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।
- विश्व युवा दिवस के अवसर पर छात्रों को पर्यावरण के प्रति जागरूक बनाने के लिए सेंट एंड्रयूज कॉलेज में वाद-विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था।

*****